

जिला



सत्यमेव जयते

गजट

झारखण्ड सरकार  
द्वारा प्रकाशित

पाक्षिक संख्या : 16

रामगढ़ दिन : बुधवार  
दिनांक 06.01.2016

समाहर्ता द्वारा निकाले गये भू-अर्जन संबंधी  
अधिघोषणा

विषय सूची  
अधिघोषणा

पृष्ठ संख्या 01

**प्रपत्र VII**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**(भू-अर्जन निदेशालय)**

या  
समाहर्ता या समुचित सरकार  
अधिघोषणा

**(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)**

संख्या- 804/भू0अ0.

रामगढ़, दिनांक 31/12/2015

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना कोडरमा-राँची न्यू बी0जी0 रेलवे लाईन निर्माण हेतु ग्राम कुजू IV, थाना माण्डू, थाना सं0 154, अंचल माण्डू, जिला रामगढ़ में कुल 7.67 एकड़ यानि 3.1052 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खंड है, जो मानक माप से कमोवेश 7.67 एकड़ यानि 3.1052 हेक्टेयर है, और जो ग्राम कुजू IV, थाना माण्डू, थाना सं0 154, जिला रामगढ़ में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	2	सरकारी बन्दोबस्ती	कृषि	0.66	लाल मांझी पिता बड़कू मांझी	1	3	2	1
2	2	4	सरकारी बन्दोबस्ती	कृषि	0.45	लाल मांझी पिता बड़कू मांझी	1	18	3	1
3	2	22	सरकारी बन्दोबस्ती	कृषि	6.56	1. लाल मांझी पिता बड़कू मांझी 2. पुरना मांझी पिता फुशु मांझी 3. मोती कुम्हार पिता स्व0 गिरी कुम्हार 4. जीतुवा कुम्हार पिता जुलामा कुम्हार	19	364	22	19
<b>कुल रकवा</b>					<b>7.67</b>					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम संख्या-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात किया गया है।

ह0/-  
जिला भू-अर्जन पदाधिकारी,  
रामगढ़।

ह0/-  
अपर समाहर्ता,  
रामगढ़।

ह0/-  
उपायुक्त,  
रामगढ़।